

आदेश तारीख

12-05-2026

आदेश का विवरण गय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर

आदेश की पालना में की गई कार्यवाही

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील उभयपक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस की गई। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार प्रार्थी की भूमि संयुक्त खाता में है प्रार्थी ने अपने संयुक्त खाता से अपना हिस्सा अनुसार बंटवारा राजस्व रिकार्ड में कर अपने हिस्सा को पृथक से नहीं करवाया है ऐसी स्थिति में अगर माननीय अदालत उक्त प्रकरण का निस्तारण करती है तो भी भविष्य में प्रार्थी के मध्य अपने संयुक्त खाते का पृथक विभाजन किए बिना उनमें उक्त रास्ते के सबन्ध में विवाद का अंतिम निपटारा नहीं होगा। न्यायालय को विनम्र मत में प्रार्थी के मध्य उनके हिस्से का पृथक-पृथक विभाजन होकर उनका पृथक-पृथक हिस्सा विनिश्चित होने के उपरांत ही उक्त रास्ता संबंधी विवाद का अंतिम एवं पूर्ण न्यायनिर्णय होना संभव है अतः इस अवस्था से प्रार्थी को अनुतोष दिया जाना संभव प्रतीत नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी इस अवस्था पर उक्त विवेचन के आधार पर निरस्त किया जाता है प्रार्थी खाता विभाजन के बाद रास्ते के संबंध कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र रहेगे।

पत्रावली फ़ैसलाशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व दर्ज नम्बर से कम हो।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

